न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नावां (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री ब्रह्मलाल जाट, आर.ए.एस.

वादीगण :–

1– लिछमणराम पुत्र नारायणराम नाई
2– दशरथ पुत्र लिछमणराम नाई
सा. मुण्डघसोई तह. नावां

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. सुप्यारकंवर पत्नी मोहनसिंह राजपूत
2. पूरणसिंह पुत्र छीतरसिंह राजपूत
3. गणपतसिंह पुत्र छीतरसिंह राजपूत
4. राजकंवर बेवा छीतरसिंह राजपूत
5. संतोषकंवर पत्नी गणपतसिंह राजपूत
6. रेशमकंवर पुत्री गणपतसिंह राजपूत
7. कमलादेवी पत्नी ज्ञानाराम मेघवाल
8. गणेशराम पुत्र भागीरथराम मेघवाल
9. मोहनीदेवी पत्नी गोपालराम मेघवाल
10. कानाराम पुत्र गंगा अहीर
11. भैरूराम पुत्र गंगा अहीर
सा. मुण्डघसोई तह. नावां
12. तहसीलदार नावां

दावा बाबत :– खातेदारी घोषणा व बंटवारा

उपस्थित :– श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा वकील वादीगण
श्री बजरंगलाल वकील प्रतिवादी 1 से 6

मुकदमां नम्बर :– 165/2018

निर्णय दिनांक :– 12.07.2019

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम मुण्डघसोई के खसरा नम्बर 287, 322, 323, 324 कुल रकबा 7.7923 हैक्टयर भूमि स्थिता हैं। जिसमें 1/2 हिस्से की भूमि पूर्व खातेदार धीरसिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिनके स्वर्गवास के बाद उनके वारिसान कालुसिंह, सायरसिंह व छीतरसिंह के नाम खातेदारी दर्ज हुई। खातेदार कालूसिह ने धीरसिंह के हक व हिस्से की 1/2 हिस्से की भूमि में से अपने हक हिस्से की 1/3 हिस्से की यानि 1.2988 हैक्टयर भूमि को जरिये रजिस्टार्ड बैचाननामें से दिनांक 06.01.1993 को वादीगण को बैचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया। तथा

1/2 हिस्से में 1/3 हिस्सा सायरसिंह के नाम दर्ज हुआ जिनके स्वर्गवास के बाद सायरसिंह के स्थान पर प्रतिवादी 5 व 6 का नाम जरिये उत्तराधिकार खातेदारी में दर्ज हैं तथा छीतरसिंह के 1/3 हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी 1 से 4 काबिज काश्त हैं तथा शेष 1/2 हिस्से की भूमि में 1/3 हिस्सा यानि 1.2988 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी 7 से 9 व 1/2 हिस्से के 2/3 हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी 10, 11 काबिज काश्त हैं। उक्त भूमि के खसरा नम्बर 324 रकबा 4.2832 हैक्टयर भूमि में दक्षिणी तरफ की 1.2988 हैक्टयर भूमि जो नजरी नक्शा में मार्क ''ए'' से ''डी'' के मध्य भूमि पर वादीगण काबिज काश्त हैं, शेष खातेदार वाद के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शें अनुसार काबिज काश्त हैं, वर्तमान में भूमि के सेग्रीकेशन के दौरान पटवारी हल्का ने बिना कोई जांच किय ही वादीगण का रकबा कम कर दिया। वादीगण द्वारा पूर्व में दर्ज खातेदारी व मौके पर हो रखे भौतिक बंटवारे अनुसार खातेदारी दर्ज कर बंटवारा करते हुऐ अलग अलग होल्डिंग कायम करने की कहने पर उनके द्वारा इंकार कर देने पर यह वाद पैदा हुआ है। वादीगण ने वाद पेश कर ग्राम मुण्डघसोई के खसरा नम्बर 287, 322, 323, 324 कुल रकबा 7.7929 हैक्टयर में खसरा नम्बर 324 रकबा 4.2832 हैक्टयर भूमि में दक्षिणी तरफ की 1.2988 हैक्टयर जो नजरी नक्शें में मार्क ''ए'' से ''डी'' के मध्य दर्शित हैं का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादीगण की अलग होल्डिंग कायम करने की इस्तदुआ की है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी 1 से 4 दिनांक 30.01.2019 को इकबालिया जवाब पेश कर वादीगण के वाद को सही होने से स्वीकार किया हैं तथा काउन्टर क्लेम पेश कर वाद पत्र के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शे में मार्क ''सी'' से ''एफ'' के मध्य की 1.2988 हैक्टयर भूमि का प्रतिवादी 1 से 4 को खातेदार काश्तकार घोषित कर अलग होल्डिंग कायम करने की इस्तदुआ की हैं, इसी प्रकार प्रतिवादी 5, 6 ने इकबालिया जवाब मय काउन्टर क्लेम पेश कर वादीगण के वाद को सही होना स्वीकर करते हुऐ निवेदन किया हैं की वाद में इस्तदुआ अनुसार हक हिस्सा दर्ज किया जाना उचित हैं तथा नजरी नक्शें में दर्शित मार्क '' ई'' से ''एच'' के मध्य स्थित 1.2988 हैक्टयर भूमि का प्रतिवादी 5, 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर अलग होल्डिंग कायम करने की इस्तदुआ की हैं शेष प्रतिवादी 7 से 11 के सम्मन विधिवत रूप से तामील होकर प्राप्त होने पर बार – बार अवाज लगाऐ जाने के बावजूद अनुपस्थित

रहने पर दिनांक 30.01.2019 को एक पक्षी कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादी में वादी स्वंय व गवाह केशाराम व रूपाराम के शपथ पत्र पेश किऐ हैं ओर साक्ष्य पेश नहीं करने साक्ष्य बन्द की गई। तत्पश्चात उक्त भूमि में प्रतिवादी 7 से 10 अनुसूचित जाति के होने व उक्त वाद से उनकी खातेदारी में दर्ज हक हिस्से में सेग्रीकेशन के दौरान परिर्वतन हुआ हैं अथवा नहीं की जांच तहसीलदार नावां से करवायी गई तहसीलदार नावां द्वारा अपने पत्रांक भू.अ./2019/3205 दिनांक 11.07.2019 के द्वारा रिपोर्ट पेश की गई जो शामिल मिसल की जाकर वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण ने अपने वाद के साथ जमाबन्दी सम्वत 2019–2022 पेश की हैं जिसमें ग्राम मुण्डघसोई के गत खसरा नम्बर 49 रकबा 48–10 बीघा भूमि में बालू वल्द बगसा बलाई 1/3 हिस्सा धीरसिंह वल्द देवीसिंह 1/2 हिस्सा गंगा वल्द बिरमा अहीर 1/3 हिस्स राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं सम्वत 2031–2034 की जमाबन्दी में भी बालू पुत्र बगसा 1/3 हिस्सा दर्ज हैं तत्पश्चात सेटलमेन्ट द्वारा जारी खसरा मिलान क्षेत्रफल से गत खसरा नम्बर 49 के नये खसरा नम्बर 287, 322, 323, 324 कुल रकबा 7.7920 हैक्टयर कायम हुऐ हैं, सेटलमेन्ट के बाद नई जारी जमाबन्दी सम्वत 2049–2052 वकील वादी ने पेश की हैं जिसमें बालू पुत्र बगसा मेघवंशी गंगवा पुत्र बिरमा जाति अहिर मोहनसिंह, पूर्णसिंह गणपतसिंह पि. छीतरसिंह राजकंवर बेवा छितरसिंह, गणपतसिंह पुत्र सायरसिंह पेफकंवर बेवा सारयसिंह कालुसिह पुत्र धीरसिंह राजपूत दर्ज कर दिया लेकिन किसी भी खातेदार का हक हिस्सा अंकित नहीं किया हैं। गत राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2019 से 2022 में बालू पुत्र बक्सा बलाई 1/6 हिस्सा, धीरसिंह पुत्र देवीसिंह राजपूत 1/2 हिस्सा, गंगा वल्द बीरम अहीर 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड हैं सम्वत 2016–65 मिसल बन्दौबस्त में खातेदारी इसी प्रकार दर्ज हैं लेकिन किसी का हिस्सा अंकित नहीं किया गया हैं नामान्तकरण संख्या 12 दिनांक 30.05.92 के द्वारा छीतरसिंह व सायरसिंह के स्थान पर मोहनसिंह, पूर्णसिंह, गणपतसिंह पि. छीतरसिंह, राजकंवर पत्नी छीतरसिंह, गणपतसिंह पुत्र सायरसिंह पेफकंवर पत्नी सायरसिंह दर्ज रिकार्ड किया गया हैं सम्वत 2049–52 में नामान्तकरण संख्या 32 से बालू पुत्र बगसा बलाई के स्थान पर छिगना पुत्र बालू का एवं नामान्तकरण संख्या 30 से कालूसिंह के स्थान पर

लिछमणराम पुत्र नारायणराम व दशरथ पुत्र लिछमणराम कौम नाई दर्ज रिकार्ड हैं। जमामबन्दी सम्वत 2053–56 में नामान्तकरण संख्या 60 दिनांक 06.08.1996 के द्वारा गंगा पुत्र बीरम के स्थान पर काना, भैरू पि. गंगाराम दर्ज हैं जमाबन्दी सम्वत 2065–68 में बेचान से नामान्तकरण संख्या 240 के द्वारा छिगना पुत्र बालू के स्थान पर कमला, गणेश व मोहनी का नाम व नामान्तकरण संख्या 239 के द्वारा विरासत में गण्पतसिंह के स्थान पर संतोषकंवर व रेषम कंवर का नाम दर्ज रिकार्ड किया गया हैं। गत राजस्व रिकार्ड व वर्तमान खातेदार में की खातेदारी में वास्तविक हक हिस्सा इस प्रकार कर हैं कि बालू पुत्र बगसा बलाई का 1/6 हिस्सा था जिसके फौत होने पर उसके पुत्र छिगना पत्रु बालू बलाई का 1/6 हिस्सा छिगना द्वारा बैचान करने पर कामल का 1/18 हिस्सा, गणेश का 1/18 हिस्सा व मोहनी का 1/18 हिस्सा, इसी प्रकार धीरसिंह के हिस्से की 1/2 भूमि में धीरसिंह के स्वर्गवास के बाद छीतरसिंह का 1/6 हिस्सा, सायरसिह का 1/6 हिस्सा, कालूसिंह का 1/6 हिस्सा तथा गंगाराम पुत्र बीरम अहीर के 1/3 हिस्से में काना 1/6 हिस्सा, भैरू 1/6 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। धीरसिंह के 1/2 हिस्से में छीतरसिह, सायरसिंह व कालूसिंह तीनों को 1/6, 1/6 हिस्सा बनता हैं जिसमें छीतरसिह फौत होने से उसके वारिसान राजकंवर, मोहनसिंह, पूर्णसिंह व गणपतसिंह प्रत्येक का 1/24 हिस्सा बनता हैं इसी प्रकार सायरसिह के वारिसान का भी 1/12, 1/12 हिस्सा बनता हैं कालूसिंह का धीरसिंह के 1/2 हिस्से में 1/6 हिस्सा बनता हैं जो सम्पूर्ण वादीगण ने खरीद कर लिया हैं जिसके अनुसार सम्पूर्ण भूमि में धीरसिंह के 1/2 यानि 3.89615 हैक्टयर भूमि बनती हैं जिसके 1/3 हिस्सा कालूसिंह का यानि 1.2988 हैक्टयर भूमि को वादीगण ने क्रय कर ली हैं लेकिन वर्तमान में सेग्रीकेशन के दोरान वादीगण का के साथ साथ अन्य खातेदारो का हक हिस्सा जमाबन्दी में गलत अंकित कर दिया। जिसको प्रतिवादी 1 से 6 ने इकबालिया जवाब पेश कर स्वीकार किया हैं तथा काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया हैं कि जमाबन्दी में दर्ज हक हिस्सा दुरूस्त कर वादीगण व प्रतिवादी 1 से 1 से 4 व प्रतिवादी 5, 6 की अलग अलग होल्डिंग कायम करने की इस्तदुआ की गई हैं सही हैं। प्रस्तुत गवाहो ने भी वादीगण के वाद की पुष्टि की हैं जिससे वादीगण का वाद व प्रतिवादी 1 से 6 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किऐ जाने योग्य है।

अतः वादीगण का वाद व प्रतिवादी 1 से 6 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता हैं कि ग्राम मुण्डघसोई के खसरा नम्बर 287, 322, 323, 324 कुल रकबा 7.7929 हैक्टयर भूमि में खसरा नम्बर 324 रकबा 4.2832 हैक्टयर भूमि में वाद के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार सबसे दक्षिणी तरफ मार्क A+B+C+D के मध्य की 1.2988 हैक्टयर भूमि का वादीगण को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाता हैं। वादीगण के उत्तरी तरफ नजरी नक्शे में वर्णित मार्क C+D+E+F के मध्य की 1.2988 हैक्टयर का प्रतिवादी 1 से 4 को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं, प्रतिवादी 1 से 4 के उत्तरी तरफ नजरी नक्शे में वर्णित मार्क E+F+G+H के मध्य की 1.2988 हैक्टयर भूमि का प्रतिवादी 5 व 6 को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। खसरा नम्बर 324 में शेष रही 0.3868 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 322, 323, 287 की शेष भूमि प्रतिवादी 7 से 11 की खातेदारी में दर्ज रहेगी जिसमें वादीगण व प्रतिवादी 1 से 6 का नाम हटाया जावे। तदनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज कर अलग अलग होल्डिंग कायम की जाकर तरमीम की जावें। नियमानुसार स्टाम्प पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रह्मलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी, नावां